न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 26.06.18

मिसिल संख्या 316/2014

दुर्गालाल पुत्र श्री नाथूलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र श्री नाथूलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दूनी तहसील दूनी टोंक जिला टोंक (राज0)
2. राजाराम पुत्र श्री नाथूलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दूनी तहसील दूनी टोंक जिला टोंक (राज0)
3. रामअवतार पुत्र श्री नाथूलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दूनी तहसील दूनी टोंक जिला टोंक (राज0)
4. नाथूलाल पुत्र श्री काना जाति बलाई उम्र बालिग निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दूनी तहसील दूनी टोंक जिला टोंक पुत्र श्री नाथूलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी पोस्ट ऑफिस के पास दूनी तहसील दूनी टोंक जिला टोंक (राज0)
5. राज्य सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोक (राज0)
6. उपपंजीयक/ तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थिति :–
श्री संदीप कांटिया
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 3 कि माता व अप्रार्थी नं. 4 की पत्नी श्रीमती भूली देवी भी रजिस्टर्ड कयशुदा भूमि हाल ख.न. 3172 रकबा 0.42 है0 वाके तनग्राम दूनी में स्थित है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने 1 ता 3 अप्रार्थी की माता व अप्रार्थी 4 की पत्नी भूली देवी ने कय की थी। श्रीमती भूली देवी ने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि का विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 3 के मध्य कर दिया था। जब से प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 3 के साथ मिलकर विरासत का

ान्तकरण प्रार्थी, अप्रार्थीगण 1 ता 3 के साथ–साथ स्वयं के नाम की गलत तथ्य वर्णित करते हुए खुलवा लिया जबकि किसी महिला की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण उसके पुत्रों व पुत्रियों के नाम खुलता है, परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के मन में बेईमानी आने में कारण से प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को हडपना चाहते है, और प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजाहत करते है। जबकि इस भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहत नही करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

उभयपक्ष के अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार ख. नं. 3172 रकबा0.42 है0 में वादी के हिस्से का रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन नही हुआ है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का भूमि की प्रत्येक इंच पर हिस्सा निहित है। अतः वादी के हिस्से की भूमि का बंटवारा हुए बिना प्रतिवादी संख्या 1 से 4 रहन ,दान, बेचान नहीं कर सकते है। अधिवक्ता अप्रार्थी नें बहस में बताया कि प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में 1/5 हिस्सा दर्ज है। जबकि दावे में वादी द्वारा अपना हिस्स 1/4 बताया गया जो कि मेलाफाइड है। अतः प्रतिवादीगण को स्थगन से पाबन्द किया जाना नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। प्रतिवादीगण वादी के 1/5 हिस्से तक मजामहत नहीं करने हेतु भी सहमत है। अतः स्थगन खारिज किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। संलग्न जमाबंदी संवत 2070–73 में वादी का हिस्सा 1/5 बनता है जबकि दावे में 1/4 बताया गया है। इस बिन्दु का निर्णय दावे में साक्ष्य–सबूत के उपरान्त तय किये जाने का विषय है। काश्तकारी अधिनियम के अनुसार यह स्थापित विधि हैं कि एक सहखातेदार का कब्जा कानून में सभी सहखातेदारो का कब्जा माना जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सहखातेदार की हैसियत से दर्ज है तथा वाद विभाजन आराजियात का है। अतः वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त वाद में वर्णित भूमि का रहन, दान, बेचान नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से में मजामहत नही करने हेतु भी स्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 26.06.18 को सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
देवली